फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

वनणाराम पुत्र अमोलखराम वगैरा बनाम हमीराराम पुत्र पूनमाराम वगैरा

किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 187/17 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
30.05.17	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। वकील प्रार्थीगण के अनुसार प्रार्थीगण खातेदारी की कृषि भूमि मौजा उगराणियों की ढाणी पटवार मण्डल शहर तहसील गिड़ा में आई हुई है। प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण बाधा, हस्तक्षेप करने, बैदखल करने, खेतों की माढ़े तोड़ने, कच्चा-पक्का निर्माण करने पर आमादा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 05/07/2017 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा उगरोणियों की ढाणी पटवार मण्डल शहर तहसील गिड़ा के खसरा नम्बर 296/231, 297/231 रकबा कमशः 82.16 बीघा, 08.07 बीघा कुल रकबा 91.03 बीघा भूमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार दखलंदाजी, हस्तक्षेप, बाधा कारित नहीं करें, न ही प्रार्थीगण की रहवासीय ढाणी एवं कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार का कच्चा-पक्का निर्माण करें तथा मौके व रैकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 05/07/2017 को पेश हों। सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:06:46 IST
Reason: SelfAttested

05/07/17 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 08/08/17 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

08/08/17 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 12/12/17 को पेश हो, तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

12/12/17 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा तामील अप्राप्त। पीठासीन अधिकारी कलक्टर में पधारे हुए हैं अतः मिसल इजलास होकर आगामी दिनांक 22/01/18 को पेश हो, तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

9.6.2020 पत्रावली प्रस्तुत हुई। संलग्न वाद Not Press में खारिज किया जा चुका है अतः पत्रावली चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र मय स्थगन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर)
9.6.2020

सहायक कलक्टर (SDO) चायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:06:46 IST
Reason: SelfAttested